

दिनांक–16.07.2019 को 10:00 बजे पूर्वाहन में हुई बोर्ड की 393वीं साधारण बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. सचिव, उद्योग विभाग –सह-अध्यक्ष बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	अध्यक्ष
2. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
3. उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
4. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य :-

5. राज्य निदेशक,  
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,  
राज्य कार्यालय–बी० भी कॉलेज, शेखपुरा, पटना

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बैठक में रखे गये प्रस्ताव पर निम्न निर्णय लिया गया –

<u>क्र०</u>	<u>प्रस्ताव</u>	<u>निर्णय</u>
-------------	-----------------	---------------

1. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा आयोजित होने वाले खादी मेला की स्वीकृति देना।
2. लुधियाना एवं नई दिल्ली में Buyer Seller Meet एवं फैशन शो के आयोजन करने की स्वीकृति देना।
3. खादी पुर्नरुद्धार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में वितरण की जाने वाली करघा की पूर्व निर्धारित राशि 30,000/- रुपये प्रति करघा के स्थान पर 45,000/- रुपये प्रति करघा किये जाने की स्वीकृति देना।
4. नई संस्था को कार्यशील पूँजी भुगतान करने की स्वीकृति देना।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में पटना एवं अन्य जिलों में खादी प्रचार–प्रसार एवं बिक्री के लिए खादी मेला तथा Buyer Seller Meet के आयोजन हेतु 1.50 करोड़ रुपये राज्य सरकार से राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

लुधियाना एवं नई दिल्ली में Buyer Seller Meet एवं फैशन शो के आयोजन करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ स्वीकृति दी गई कि नये योजना तैयार कर मंत्री परिषद् की स्वीकृति प्राप्त किया जाय।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग से निबंधन कराने के उपरान्त बोर्ड में उपलब्ध राशि से कार्यशील पूँजी का भुगतान करने के स्वीकृति दी गई।

5. आपूर्ति किए 08 तकुआ न्यू मॉडल चरखा की राशि आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने की स्वीकृति देगा।

6. खादी और ग्रामोद्योग आयोग से Empanelled फर्म से न्यू मॉडल 08 तकुआ का चरखा क्रय करने की स्वीकृति देना।

7. भागलपुर एवं मधुबनी जिला में खादी से संबंधित CFC स्थापित करने के संबंध में।

8. गत बैठक में लिये गये निर्णय को निम्नलिखित निदेश के साथ संपुष्ट की गई।

- क. मंगलोर टाईल्स उत्पादन केन्द्र, सारामोहनपुर, दरभंगा (बंद) के संबंध में उद्योग विभाग के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव लाया जायेगा।
- ख. हस्तकरघा कम्बल एवं उपेन्द्र महारथी के उत्पादों को Amazon India से जोड़ने के लिए उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इसलिए इसपर विहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।
- ग. खादी संस्थाओं द्वारा कतिनों/बुनकरों को पारिश्रमिक का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा। जो संस्था उक्त आदेश का अनुपालन नहीं करेगें, उन्हें कोई वित्तीय लाभ बोर्ड द्वारा नहीं दिया जायेगा।
- घ. विहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के नवनिर्मित भवन में गुणवत्ता जॉच केन्द्र की स्थापना के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग से सहयोग प्राप्त कर प्रस्ताव लाया जाय।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

मॉ मुण्डेश्वरी साईकिल उद्योग प्रा० लि, औरंगाबाद द्वारा 200 नग न्यू मॉडल चरखा खादी के विभिन्न संस्थाओं को आपूर्ति किया गया है। खादी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत न्यू मॉडल चरखा के लिए प्राप्त राशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए खादी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत प्राप्त कुल राशि में से आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग से Empanelled फर्म से न्यू मॉडल चरखा क्रय करने हेतु प्रस्तुत RFP पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई। (RFP संलग्न) इस RFP में दिये गये शर्त के अनुसार न्यू मॉडल चरखा क्रय करने हेतु निविदा प्रकाशित कराया जाय।

भागलपुर एवं मधुबनी जिला में खादी संस्था/संघ द्वारा खादी से संबंधित CFC स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि CFC के लिए दोनों संस्थान विहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को दान में भूमि उपलब्ध करायें।

सचिव—सह—अध्यक्ष

ज्ञापांक—पट/२५४

पटना, दिनांक—२३/०८/८०/१९

प्रतिलिपि :- सचिव, उद्योग विभाग—सह—अध्यक्ष, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,  
पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग,  
बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/राज्य  
निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, बी०भी० कॉलेज, शेखपुरा, पटना-१४ को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक—पट/२५४

पटना, दिनांक—२३/०८/८०/१९

प्रतिलिपि :- G.T. India LLP Patna/प्रशाखा पदाधिकारी (प्र०)/सभी सहायक लेखा  
पदाधिकारी/संबंधित प्रभारी सहायक/निर्गत प्रभारी गार्ड एवं निजी संचिका को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
२३/०८/८०/१९

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
२३/०८/८०/१९